न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 16/2023 (राजसमन्द आर्डर)

1. कालूराम पिता नारायण जी, जाति माली, निवासी मालीखेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. किशनलाल पिता मोहन जी, जाति माली, निवासी मालीखेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती नेनी बाई पत्नी नारायण जी, जाति माली, निवासी मालीखेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. नाथू पिता उदा जी, जाति माली, निवासी मालीखेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. पवन पिता मोहन जी, जाति माली, निवासी मालीखेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
6. रेखा पुत्री मोहन जी, जाति माली, निवासी मालीखेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
7. रूपलाल पिता उदा जी, जाति माली, निवासी मालीखेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
8. रामलाल पिता उदा जी, जाति माली, निवासी मालीखेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

8/1. श्रीमती राधी बाई पत्नी रामलाल जी, जाति माली, निवासी मालीखेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

8/2. बद्रीलाल पिता रामलाल जी, जाति माली, निवासी मालीखेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

8/3. मीना पुत्री रामलाल जी, जाति माली, निवासी मालीखेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

8/4. लीला पुत्री रामलाल जी, जाति माली, निवासी मालीखेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

9. सुरेश पिता नारायण जी, जाति माली, निवासी मालीखेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
10. श्रीमती सुशीला पत्नी मोहनलाल जी, जाति माली, निवासी मालीखेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:15 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, राजसमन्द (राज.)
3. दीपलाल पिता माना जी, जाति माली, निवासी मालीखेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. मुकेश पिता दीपलाल जी, जाति माली, निवासी मालीखेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. मदनलाल पिता दीपलाल जी, जाति माली, निवासी मालीखेड़ा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, आमेट
दिनांक 13.09.2023 प्र. सं. 11/2023

———/———

उपस्थित :– 1– श्री आर. एल. रावत अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री मुकेश देवपुरा अभिभाषक रेस्पो.सं. 3 से 5
3– श्री पैरोकार सरकार अभिभाषक रेस्पो.सं. 1, 2

———::———

निर्णय दिनांक 17–05–2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गांव मालीखेडा में आराजी नंबर 101, 103, 288, 291, 311, 312, 324, 34, 341, 355, 363, 374/1 कुल किता 12 रकबा 3.0700 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें आराजी नंबर 288 रकबा 0.0850 हैक्टर पैत्रृक होकर विरासत से प्रार्थीगण को प्राप्त हुई है। आराजी नंबर 288 के साबिक आराजी नंबर 133 मी., 135 मी., 136 मी., 182 किस्म रास्ता थी एवं मेवाड़ जमाबन्दी संवत् 1989 में प्रार्थीगण की अन्य कृषि भूमि खाता संख्या नया 61 व पुराना 49 में प्रार्थीगण के नाम पर वर्तमान आराजी नंबर 210, 211, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 55, 56, 57, 58, 59, 60,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:15 IST
Reason: SelfAttested

61 कुल किता 17 रकबा 7.5850 हैक्टर है, जिसके साबिक आराजी नंबर 129 से 137, 182, 183 थे, जो प्रार्थीगण के पूर्वज उदा के नाम पर खातेदारी में दर्ज थी, जिनका सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। आराजी नंबर 288 रकबा 0.0850 हैक्टर भूमि को वर्तमान में विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम पर वक्त सेटलमेन्ट राजस्व कर्मचारियों के द्वारा गलत रूप से दर्ज कर दी गयी है, जिससे विपक्षी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू हैं तथा विपक्षी संख्या 3 से 5 मिलकर प्रार्थीगण को उनकी पैत्रृक भूमि से आवागमन में बाधा व अवैध कब्जा करने पर उतारू हैं। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 13–09–2023 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश देवपुरा उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मिलान खसरा पत्रक, मेवाड़ जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। मात्र आराजी नंबर 288 रकबा 0.0850 हैक्टर किस्म रास्ता दर्ज होने के आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो विधि सम्मत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्टगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:15 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्टगण के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि विवादित भूमि सरकारी भूमि होकर रास्ते एवं नाले के उपयोग में आ रही है तथा सेलटमेन्ट के पूर्व भी बिलानाम रास्ता दर्ज थी तथा सेटलमेन्ट के बाद भी बिलानाम रास्ता दर्ज है, जो खसरा मिलान से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्टया नहीं मानते हुए उनका प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में विवादित आराजी नंबर 288 रकबा 0.0850 हैक्टर सरकारी भूमि दर्ज होकर उसकी किस्म रास्ता दर्ज है तथा पूर्व में भी इस भूमि की किस्म रास्ता ही दर्ज थी। उक्त भूमि कभी भी अपीलान्ट/प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज नहीं रही है। ऐसी स्थिति में रास्ते की सरकारी जमीन बाबत् प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलान्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं मानते हुए उनका अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 13–09–2023 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 17–05–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:15 IST
Reason: SelfAttested